

21/04/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किरायेदारी लेख पत्र


मनकि भानुसिंहसेवासंस्थान वशीतलादेवोपूर्व माध्यमिक विद्यालय  
करन चौराहा सरायआकिल परगना व तहसील वायल जनपद कौशाम्बी  
प्रबन्धक श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी भीष्म सिंह निवासी करन चौराहा-  
सरायआकिल परगना व तहसील वायल जनपद कौशाम्बी । मो०नं०-  
9670 289732 — पृथम पक्ष/ मकान मालिक ।

व

भानुसिंह सेवा संस्थान द्वारा संचालित डी०पी० मेमोरियल पब्लिक  
स्कूल करन चौराहा परगना व तहसील वायल जनपद कौशाम्बी  
प्रबन्धक श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी भीष्मसिंह निवासी करन चौराहा  
सरायआकिल परगना व तहसील वायल जनपद कौशाम्बी । मो०नं०-  
7706859386 --- द्वितीय पक्ष/ किरायेदार ।

कुसुमसिंह

कुसुमसिंह




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100




सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

DN-402277

जो कि पृथम पक्ष जायदाद जिसका पूर्ण विवरण इस लेख पत्र में दिया जा रहा है को मालिक का विज दखील है जो हर प्रकार से पाक व साफ है उपरोक्त जायदाद को द्वितीय पक्ष स्कूल संचालन हेतु पृथम पक्ष द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों पर दे रही है :-


1— यह कि पृथम पक्ष अपनी आराजी संख्या 873 रकबा- 0.0570 है 0 व 8740 रकबा 0.0460 है 0 व 875 रकबा 0.2050 है 0 कुल रकबा 0.3080 है 0

में स्थित भवन व आ0न0- 866/2 मि0 रकबा 0.114 है 0 में स्थित भूमि व भवन स्थित मौजा घोसिया परगना व तहसील वायल जनपदकांशाखी को रुपये 1000/- रुपये प्रतिमाह की दर से 30 वर्ष के लिए किराये पर दे रही है ।

2— यह कि जायदाद को किरायेदारो दि0- 29.06.2017 ई0 से प्रारम्भ होकर

कुसुमाग्रिह

कुसुमाग्रिह



क्र.सं. 347 पृष्ठ सं. 185-1 29/6/17

मा. प्र. कुसुम सिंह  
पत्नी श्री भीष्म सिंह  
पेशा गृहिणी  
निवासी करन चौराहा सराय अकिल परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
तहसील चायल जनपद कौशाम्बी

पट्टा विलेख

(30 वर्ष)

72,000.00 144,000.00 1,440.00 60 1,500.00 14  
प्रतिफल मालियत औपन वार्षिक क्रिया फीम रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क पृष्ठों की संख्या

श्रीमती भोसिह0से0सं0व शीतला पू0मा0वि0द्वारा प्र0 श्रीमती कुसुम सिंह  
पत्नी श्री भीष्म सिंह  
व्यवसाय गृहिणी  
निवासी ग्यायी करन चौराहा सराय अकिल परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
अग्यायी पत्ता  
ने यह लेखपत्र इम कार्यालय दिनांक 29/6/2017 मय्य 2:42PM  
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुनील कृष्णानी प्रत्यक्ष लिखित  
तहसील चायल कौशाम्बी  
क्र.सं. 28

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
मेवालाल  
उपनिबंधक  
चायल  
29/6/2017

निष्पादन लेखपत्र चाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनगशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता श्रीमती भोसिह0से0सं0व शीतला पू0मा0वि0द्वारा  
प्र0 श्रीमती कुसुम सिंह  
पत्नी श्री भीष्म सिंह  
पेशा गृहिणी  
निवासी करन चौराहा सराय अकिल परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
पट्टा गृहीता श्रीमती भानु सिंह से0सं0 द्वारा प्र0 कुसुम सिंह  
पत्नी श्री भीष्म सिंह  
पेशा गृहिणी  
निवासी करन चौराहा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी

ने निष्पादन ग्यीकार किया।

जिनकी पहचान वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी एड0 B.K. Tripathi  
स्व0 वेश लोचन त्रिपाठी Accd


पेशा वकालत  
निवासी क्यामुददीनपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी

व अमित शुक्ला  
जगदीश प्रसाद

पेशा वकालत  
निवासी इमलीगाव परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
ने की।

प्रत्यक्षतः मद्र माक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
मेवालाल  
उपनिबंधक  
चायल  
29/6/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 402278

-3-

30 वर्ष अवधि पूरा होने पर समाप्त हो जायेगी ।

3— यह कि किराये की जायदाद में द्वितीय पक्ष विद्यालय संचालन हेतु उपभोग करेगा ।

4— यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रथम पक्ष को किराया अदा करेगा ।

5— यह कि किरायेदारी के दौरान उपरोक्त जायदाद न बेची जायेगी न ही गिरवी रखी जायेगी और न ही किसी दूसरे किरायेदार को द्वितीय पक्ष देगा ।

6— यह कि किरायेदारी के दौरान द्वितीय पक्ष किराये के मकान में केवल स्कूल संचालन हेतु उपयोग करेगा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहोकरेगा ।

कुसुमसिंह

कुसुमसिंह



नं० 348 ... 100 ... दिनांक 29/6/17  
प्राप्त ... श्री सुश्रीमती ... के द्वारा देव.


पट्टा दाता


Registration No.: 2104

Year: 2017

Book No.: 1

0101 भ०सिंह०से०सं०व शीतला पू०मा०वि०द्वारा प्र० श्रीमती कुसुम ि  
भीष्म सिंह कुसुम सिंह  
करन चौराहा सराय अकिल परगना व तहसील चायल जनपद कोश  
गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

DN 402279

7— यह कि किरायेदारी के दौरान उक्त मकान में द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार से तोड़ पौडनही करेगा जो भी रद्दोबदल करना होगा तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के राय से ही करेगा ।

8— यह कि किसी प्रकार से द्वितीय पक्ष का स्कूल को बलाने को अनुमति नहीं मिलती तो यह किरायेदारी लेख पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के सहमति से निरस्त कर दिया जायेगा ।


9— यह कि दौरान किरायेदारी यदि द्वितीय पक्ष का निजी भूमि व भवन ही जाता है तो यह किरायेदारी अन्तुन्ध द्वितीय पक्ष समाप्त कर सकता है ।


10— यह कि किरायेदारी की अवधि 30 वर्ष बीतने के बाद उपरोक्त किरायेदारी स्वतः समाप्त होजायेगी ।

अतः यह लेख पत्र किरायेदारी अपने अपने पूर्ण होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से विना किसी के डरबाये व धमकाये दोनों पक्ष लिखकर पंजीकृत करा रहे है कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

कुमुम सिंह

कुमुम सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


-5-

DN 402280

तहसील जायदाद किरायेदारी

आवादी जायदाद स्थित मौजा घोसिया परगना व तहसील चावल जनपद-  
कौशाम्बी जो आ०नं०- 873 रकवा 0.057 है० व 874 रकवा 0.046 है०  
व आ०नं०- 875 रकवा 0.2050 है० व आ०नं०- 866/2 मि० रकवा 0.114 है०  
कुल रकवा 0.4220 है० यानी 4220 वर्गमीटर जिसमें निर्माण बाउण्ड्री वाल  
पिलर निर्मित है जो अकृषिक व असिंचित है को पृथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 30वर्ष  
के लिए किराये पर दिया । इसकिरायेदारी विनिर्दिष्ट में नियमानुसार 12000/-रु०  
प्रतिवर्ष किराये कीदर से 30 वर्ष के लिए मु०- 72,000/-रुपया होता है जिस  
पर 1500/-रुपये का स्टाम्पशुल्क अदा किया जा रहा है ।

कुसुमसिंह



कुसुमसिंह



350 पृष्ठ 100 दिनांक 29/6/17  
पुस्तक के द्वारा देय

Registration No: 2104

Year: 2017

Book No.: 1


W1 वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी एड0

स्व0 वेश लीचन त्रिपाठी

*R. V. Tripathi had*

क्याम्बुददीनपुर परगना व तहसील चायल जनपद कोशाम्बी

वकालत



W2


अमित शुक्ला

जगदीश प्रसाद

*Amit Shukla*

इमलीगाव परगना व तहसील चायल जनपद कोशाम्बी

वकालत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 790324


-6-




गवाह नं०। :- वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व० वंशलौचन  
त्रिपाठी निवासी क्यामउद्दीनपुर परगना व  
तहसील वायल जनपद कौशाम्बी ।


B.K. Chibakhi  
Trad

कुसुमसिंह



कुसुमसिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-7-

BG 790325

गवाह नं०2 :- अमित शुकला एडवोकेट चायल, कौशाम्बो।




मसविदाकर्ता :- राधारमण मिश्र राधारमण मिश्र एडवोकेट

टाइपकर्ता :- कुसुम सिंह


दिनांक 29.06.2017 ई०

कुसुम सिंह

कुसुम सिंह



no 352 मूल्य 500 दिनांक 29/6/17  
नाम जे. सुभाषि के लिये वेक

  
मुनील कौशिकी प्राम्य विक्रम  
गडसील चायल कौशिकी  
ला 8

आज दिनांक 29/06/2017 को  
बही सं. 1 जिल्द सं. 1679  
पृष्ठ सं. 223 से 236 पर कमांक 2104  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



मेवालाल  
उपनिबंधक  
चायल  
29/6/2017



I 2103/K017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किरायेदारी लेख पत्र

मनकि भोष्म सिंह पुत्र स्व० दुर्गाप्रसाद निवासी करन वौराहा  
सरायआ किल परगना व तहसील वायल जनपद कौशाम्बी । मो०न०-

— पृथम पक्ष/ जायदादमालिक

व


भानुसिंह सेवा संस्थान द्वारा संवा लित डी०पी० मेमोरियल  
पब्लिक स्कूल करन वौराहा सरायआ किल परगना व तहसील वायल  
जनपद कौशाम्बी प्बन्धक श्रीमती कुसुम सिंह पत्नो श्री भोष्म सिंह  
निवासी करन वौराहा सरायआ किल परगना व तहसील वायल जनपद-  
कौशाम्बी । मो०न०-

— द्वितीयपक्ष/ किरायेदार

Bhishm Singh

कुसुम सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/2/


DN 402281

जो कि प्रथम पक्ष जायदाद जिसका पूर्ण विवरण इस लेख पत्र में दिया जा रहा है का मालिक का विज दखील है जो हर प्रकार से पाक व साफ है उपरोक्त जायदाद को द्वितीय पक्ष स्कूल संचालन हेतु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर दे रहा है :-

1— यह कि प्रथम पक्ष अपनी आराजो संख्या 784 मि० रकवा 0.0050 है० व 786 मि० रकवा 0.1270 है० व 783 मि० रकवा 0.0050 है० व 784 मि० 0.0050 है० व 786 मि० रकवा 0.0130 है० जो कि अकृषिक भूमि है व आ०सं०-865 मि० रकवा 0.0550 है० जिसमे पिछरव बाउण्ड्री वाल बनी है अकृषिक व असिंचित भूमि है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.210 है० यानी 2100 वर्गमीटर है जो वाके मौजा घोसिया परगना व तहसील बायल जनपद काँशाखी में स्थित भूमि को मु०- 1000/-रुपये प्रतिमाह की दर से 30 वर्ष के लिए किराये पर दे रहा है।

Bhishan Jaiswal

कुमु मजिस्ट्रेट



359 पत्र दिनांक 29/6/17

श्री ७० कुसुम सिंह  
श्री भीष्म सिंह  
श्री करन चौराहा शशाङ्क सिंह  
चायल जिला कौशांबी

पट्टा विलेख

(30 वर्ष )

72,000.00	144,000.00	1,440.00	60	1,500.00	14
प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	पृष्ठों की संख्या

श्री भीष्म सिंह  
पुत्र श्री स्व० दुर्गा प्रसाद  
व्यवसाय डॉक्टर  
निवासी म्यायी करन चौराहा परगना व तहसील चायल जनपद कौशांबी  
अस्थायी पता  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/6/2017 समय 2:34PM  
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Bhishm Singh

पुनीत कुमार शर्मा  
तहसील चायल जिला कौशांबी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल  
उपनिबंधक

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

पट्टा गृहीता

29/6/2017

श्री भीष्म सिंह  
पुत्र श्री स्व० दुर्गा प्रसाद  
पेशा डॉक्टर  
निवासी करन चौराहा परगना व तहसील चायल  
जनपद कौशांबी

Bhishm Singh

श्रीमती भ०से०सं०द्वारा प्र०कुसुम सिंह  
पत्नी श्री भीष्म सिंह  
पेशा गृहिणी  
निवासी करन चौराहा परगना व तहसील चायल जनपद  
कौशांबी

कुसुम सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी  
स्व० बंशलोचन त्रिपाठी

B.K. Tripathi

पेशा वकालत

निवासी क्यामुददीनपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशांबी

व अमित शुक्ला  
जगदीश प्रसाद शुक्ला

Ampt

पेशा वकालत

निवासी इमलीगाव परगना व तहसील चायल जनपद कौशांबी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल

उपनिबंधक

चायल

29/6/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/3/

DN 402282

2— यह कि जायदाद की किरायेदारी दिनांक 29.6.2017 ई० से प्रारम्भ होकर तीसवर्ष अवधि पूरा होने पर समाप्त हो जायेगी ।

3— यह कि किराये की जायदाद में द्वितीय पक्ष विद्यालय संवाहन हेतु उपयोग करेगा ।

4— यह कि द्वितीयपक्ष पुत्येक माह की 10 तारीख तक प्रथम पक्ष को किराया अदा करेगा ।


5— यह कि किरायेदारी के दौरान उपरोक्त जायदाद न बेची जायेगी न गिरवी रखी जायेगी न ही किसी दूसरे किरायेदार को द्वितीय पक्ष देगा ।


6— यह कि किरायेदारी के दौरान द्वितीय पक्ष किराये की भूमि में केवल स्कूल संवाहन हेतु उपयोग करेगा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं करेगा ।

7— यह कि किरायेदारी के दौरान उक्त भूमि में द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का रद्दोबदलकरनाहोगा तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के राय से ही करेगा ।

*Shriwanger Keshav*

*श्रीवांगर केशव*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/4/

DN 402283

8— यह कि किसी प्रकार से द्वितीय पक्ष को स्कूल चलाने की अनुमति नहीं मिलती तो यह किरायेदारो केवल पृथक् पक्ष व द्वितीय पक्ष की सहमति से निरस्त कर दिया जायेगा।


9— यह कि दौरान किरायेदारो यदि द्वितीय पक्ष की निजी भूमि हो जाती है तो यह किरायेदारो अनुबन्ध द्वितीय पक्ष समाप्त कर सकता है।

10— यह कि किरायेदारो को अवधि 30 वर्ष बीतने के बाद उपरोक्त किरायेदारो स्वतः समाप्त हो जायेगी।

*Shishu Jindal*

*कु सुभाषि*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 402284

/5/

अतः यह लेखन किरायेदारी अपने अपने पूर्ण होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से विला किसी के डरवाये व धमकाये दोनों पक्ष - लिखकर पंजीकृत करा रहे है कि सनद रहे और वकत जरूरत पर काम आवे ।

Bhishun Jais

कुसुम सिंह




no 362 गवाह पूजा 100 दिनांक 29/6/17  
गाव 90 कुठुकासई के कब केच

Registration No.: 2103


Year: 2017

Book No.: 1

W1 वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी  
स्व0 बंशलोचन त्रिपाठी B.K. Tripathi  
क्यामुददीनपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
वकालत



W2 अमित शुक्ला  
जगदीश प्रसाद शुक्ला  
इमलीगाव परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी  
वकालत



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/6/


BG 790322

तहसील जायदाद किरायेदारी

आवादी जायदाद स्थित मौजा घोसिया परगना व तहसील वायल जनपद-  
कौशाम्बी जो आ0नं0-784मि0 रकवा 0.0050 है0 व 786 मि0 रकवा-  
0.1270 है0 व 783 मि0 रकवा- 0.0050 है0 व 784 मि0 रकवा 0.0050 है0  
व 786 मि0 रकवा 0.0130 है0 व 865 मि0 रकवा 0.0550 है0 जो अकृषिक  
भूमि है जिसमे पिलर बाउण्ड्री बाल बनी है जो अकृषिक व अर्शित है को पृथम  
पक्ष द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष के लिए किराये पर दिया । इस किरायेदारी मे  
नियमानुसार 12000/-रुपये प्रति वार्षिक किराये की दर से 30 वर्ष के लिए-  
मु0- 72,000/-रुपया होता है जिस पर 1500/रुपये का स्टाम्पशुल्क अदा  
कियाजा रहा है ।

Bhisham

वासुदेव



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/7/

BG 790323

गवाह नं० 1 :- वीरेन्द्रकुमार त्रिपाठी पुत्र स्व० वंशलोचन-  
त्रिपाठी नि० क्यामउद्दीनपुर पर० वतह० वा यल  
कौशाम्बी ।

Birendra Kumar  
Tripathi  
Aad



गवाह नं० 2 :- अमित गुक्ला एडवोकेट वा यल, कौ०

Amit  
Gukla  
Aad



मसविदाकर्ता :- राधारमण मिश्र & राधारमण मिश्र एडवोकेट्स

टाइपकर्ता :- केशव कुमार

दिनांक 29.06.2017 ई०

Bhishun Janki

कुशुमसिंह



३६५ मूल्य ५० दिनांक २९/६/१७  
५० सुधुकाहिं के द्वारा देक.



सुनील केशरवानी स्टाम्प विक्रेता  
गहसील चायल कौशांबी  
लागु नं० २६

आज दिनांक 29/06/2017 को  
बही सं. 1 जिल्द सं. 1679  
पृष्ठ सं. 209 से 222 पर क्रमांक 2103  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



मेवालाल

उपनिबंधक

चायल

29/6/2017

